भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 485
जिसका उत्तर मंगलवार 06 फरवरी, 2018 को दिया जाना है

इलेक्ट्रिक कार

485. श्री शिवकुमार उदासि:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत वर्ष 2030 तक पर्यावरण अनुकूल विकल्प अर्थात् इलेक्ट्रिक कारों के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो पाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक कारों की संख्या बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे कारों के उपयोग को बढ़ाने हेतु दिए जाने वाले प्रोत्साहन सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस पहल से कच्चे तेल के आयात में कमी होने की संभावना है, यदि हां, तो अनुमानित कमी सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (घ): भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय ने वर्ष 2030 तक इलेक्ट्रिक कारों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। तथापि, सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (हाइब्रिड वाहनों सहित) के लिए एक मिशन प्लान अर्थात नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 (एनईएमएमपी) तैयार किया है। एनईएमएमपी 2020 में ऐसे वाहनों के लिए बैटरी प्रौद्योगिकी मांग सृजन सहित प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास की सहायता करने और वर्ष 2020 तक ऐसे वाहनों के विनिर्माण को पर्याप्त रूप से बढ़ाने के लिए प्रभावी कार्रवाइयों के माध्यम से इलेक्ट्रिक कार और हाइब्रिड वाहनों के विनिर्माण को सुगम बनाने के लिए एक रोड मैप उपलब्ध है।

इस मिशन के भाग के रूप में, भारी उद्योग विभाग ने दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से कार्यान्वयन हेतु एक फेम इंडिया स्कीम [भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण] अधिसूचित की है। इस समय, इस स्कीम का चरण – I कार्यान्वयन के अधीन है, जो दिनांक 31 मार्च, 2017 तक मूलतः दो वर्षों की अवधि के लिए थी, लेकिन इसे दिनांक 31 मार्च , 2018 तक आगे बढ़ा दिया गया है।

इस स्कीम के माध्यम से, एक्सईवी का व्यापक अंगीकरण प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक कारों सहित इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों (एक्सईवी) के खरीददारों को अग्रिम रूप से कम किए गए खरीद मूल्य के रूप में मांग प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। एक्सईवी की खरीद के लिए इस स्कीम के तहत अनुमत विस्तृत मांग प्रोत्साहन फेम इंडिया स्कीम की राजपत्र अधिसूचना के अनुबंध-13 में दिए गए हैं, जो विभाग की बेवसाइट (www.dhi.nic.in) पर उपलब्ध है।

भारी उद्योग विभाग ने अब तक कच्चे तेल के आयात में कमी करने के लिए उपर्युक्त योजना के प्रभाव का आकलन करने हेतु कोई अध्ययन नहीं कराया है।

****